



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220624
CG-DL-E-22072020-220624

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2120]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ़ 30, 1942

No. 2120]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASHADHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2020

सं. 20/2015-2020

विषय: पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट/मॉस्क की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2405(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति 2018 की अनुसूची 2 का संशोधन करने वाले दिनांक 22.06.2020 की अधिसूचना संख्या 14 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति
207 क	901850 901890 9020 392690 621790 630790	किट के भाग के रूप में या अलग-अलग मदों के रूप में निर्यातित निम्नलिखित पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई)– 1. सभी वर्ग/श्रेणियों के मेडिकल कवर-ऑल (सर्जिकल ड्रैप्स, आइसोलेशन एप्रोन्स, सर्जिकल रैप और एक्स-रे गाउन को छोड़कर) 2. मेडिकल गॉगल्स 3. नॉन-मेडिकल/नॉन सर्जिकल मास्क के अलावा सभी मास्क (कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान, विस्कोस-निट्रड, वोवन या ब्लेंडेड) 4. मेडिकल नाइट्राइल/एनबीआर ग्लोव्स 5. फेस शील्ड	निषिद्ध

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

दिनांक 22.06.2020 की अधिसूचना सं. 14 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि सभी वर्ग और श्रेणियों के मेडिकल कवर-ऑल के तहत केवल सर्जिकल ड्रैप्स, आइसोलेशन एप्रोन्स, सर्जिकल रैप और एक्स-रे गाउन को निषेध से हटा दिया गया है। सभी वर्ग और श्रेणियों के मेडिकल कवर-ऑल के अन्य प्रकारों सहित उपर्युक्त यथा वर्णित सभी अन्य मदें, जो उल्लिखित एचएसकोड या कोई अन्य एचएस कोड के तहत निर्यात की गई हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पर निषेध के भाग के रूप में निर्यात के लिए निषिद्ध बनी रहेंगी।

[फा.सं. 01/91/180/21/एम-20/ईसी/इ-21933]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, 21st July, 2020

No. 20/2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of Personal Protection Equipment/Masks

S.O. 2405(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification No. 14 dated 22.06.2020 amending the Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy 2018 related to the export of Personal Protection Equipments as under:-

Serial Number	ITC HS Codes	Description	Export Policy
------------------	-----------------	-------------	---------------

207 A	901850 901890 9020 392690 621790 630790	Following Personal Protection Equipments (PPEs) exported either as part of kits or as individual items - 1. Medical Coveralls of all Classes/Categories (except Surgical drapes, isolation aprons, surgical wraps and X-ray gowns) 2. Medical Goggles 3. All masks other than non-medical/non-surgical masks (cotton, silk, wool, polyester, Nylon, Rayon, Viscose – Knitted, Woven or Blended) 4. Medical Nitrile/NBR Gloves 5. Face Shield	Prohibited
-------	--	---	-------------------

2. Effect of this Notification:

Notification No. 14 dated 22.06.2020 is amended to the extent that only surgical drapes, isolation aprons, surgical wraps and X-Ray gowns are removed from prohibition under the medical coveralls of all classes and categories. All other items as described above, including other types of medical coveralls of all classes and categories, exported against the mentioned HS codes or falling under any other HS code, continue to remain prohibited for export, as part of prohibition on personal protection equipments.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/E-21933]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

Ex-Officio Add. Secy.